

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/49/2016

तारीख रजु 10.05.2016

उनवान

- 1 किशनलाल पुत्र नथोली जाति जाटव वगै० निवासी अलीपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—वादीगण(04)

बनाम

- 1 अशोक पुत्र बीरवल जाति जाटव निवासी अलीपुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—प्रतिवादीगण(10)

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री महेश मुदगल एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री संतोष कुमार मुदगल एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 17.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतने एक दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा स्थित अलीपुरा तहसील हिण्डोन के खसरा न. 1639 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 49/2016 किशनलाल बनाम अशोक अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

